JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brlp.in

कार्यालय आदेश

(सामाजिक समावेशन अभियान)

(मिशन 11 लाख)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा बिहार के योग्य लक्षित / गरीब परिवार की महिलाओं को लामबंद कर उनका स्वयं सहायता समूह गठित किया जाता है। मुख्यत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, तथा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वयं सहायता समूह में समावेशन पर बल दिया है। लक्षित योग्य परिवारों को पुराने या नए स्वयं सहायता समूह में समावेशित कर संतृप्त किया जाता है जिसमें संकुल स्तरीय संगठनों/ ग्राम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सामाजिक एवं आर्थिक जाति जनगणना, 2011 में संभावित दशकीय वृद्धि के अनुसार छूटे हुए योग्य परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूह में समावेशित करने/ नए स्वयं सहायता समूह गठन की पर्याप्त संभावना है।

1. छूटे हुए लक्षित परिवारों का पुराने समूह स्वयं सहायता समूह में समावेशन/ नए स्वयं सहायता समूह का गठन

1.i. छूटे हुए लक्षित परिवारों के समावेशन हेतु रणनीति-

क. छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता से जोड़ने/ नए स्वयं सहायता समूह में समावेशित करने के लिए संकुल स्तरीय संघों/ समितियों/ ग्राम संगठनों द्वारा "सामाजिक समावेशन अभियान" 18 अप्रैल – 30 सितम्बर, 2023 तक सघन रूप से संचालित किया जायेगा।

ख. सभी संकुल स्तरीय संगठन/ समिति के अध्यक्ष एवं प्रखण्ड परियोजना प्रबंधकों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर सामाजिक समावेशन अभियान पर उन्मुखीकरण किया जायेगा तथा उसके बाद सम्बंधित कैडर की संकुल स्तरीय संगठन/ समिति द्वारा बैठक कर सामाजिक समावेशन अभियान पर उन्मुखीकरण किया जायेगा।

ग. प्रत्येक गाँव/ पंचायत को संतृप्त करने के लिए संबंधित संकुल स्तरीय संगठन/ समिति/ ग्राम संगठन अपने कार्यक्षेत्र में छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता से जोड़ने/ नए स्वयं सहायता समूह का गठन के लिए कार्य करेंगे।

घ. प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई/ संकुल स्तरीय संगठन/ ग्राम संगठन छूटे हुए लक्षित परिवारों की सूची, कैडर, सामाजिक पहल उपसमिति के सहयोग से तैयार करेंगे। ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र में छूटे हुए महादलित परिवारों की महिलाओं (अनुसूचित जाति/ जनजाति) एवं दिव्यांगजन की सूची तैयार करने और स्वयं सहायता समूह में समावेशित करने/ जोड़ने पर विशेष बल दिया जायेगा ।

ङ. संकुल स्तरीय संगठन संबंधित ग्राम संगठन (जिनके कार्यक्षेत्र में छुटे हुए लक्षित परिवार है) सामुदायिक उत्प्रेरक/ जीविका मित्र (CM), ग्राम संगठन लेखापाल (VO-BK), संकुल स्तरीय संगठन एवं ग्राम संगठन सामाजिक सुधार/ पहल उपसमिति तथा अन्य कैडर के माध्यम से आरंभिक संतृप्ता (छूटे हुए लक्षित परिवारों को पुराने स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने/ नए स्वयं सहायता समूहों का गठन) सुनिश्चित करेंगे।

च. पंचायत/ राजस्व गाँव को संतृप्त करने हेतु संकुल स्तरीय संगठन/ समिति सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर संयुक्त रूप से पंचायत को संतृप्त घोषित किया जायेगा।

छ. छूटे हुए लक्षित परिवारों के समावेशन हेतु संकुल स्तरीय संगठन/ समिति अपने कार्यक्षेत्र में **सप्ताह में एक दिन (प्रत्येक शुक्रवार)** अनिवार्य रूप से सामाजिक समावेशन अभियान का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

ज. संकुल स्तरीय संगठ/समिति/ग्राम संगठन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी की सूची का क्षेत्र स्तर पर जांच कर उन्हें पुराने या नए समूह में समावेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

झ. प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई/ संकुल स्तरीय संगठन Internal CRP Policy (Intra-Block CRP Strategy) के तहत ग्राम प्रवेश, समूह गठन, अक्रियाशील समूह को सक्रिय करने पर कार्य करेगा जहाँ समूह गठन की पर्याप्त संभावना है।

ञ. सामाजिक समावेशन अभियान हेतु निर्धारित IEC का उपयोग किया जायेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लक्षित परिवारों को समूह में जुड़ने हेतु उत्प्रेरित होंगे। निर्धारित IEC की डिज़ाइनिंग एवं छपाई में प्रबंधक- संचार एवं प्रबंधक- अधिप्राप्ति जिला प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई का सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

ट. सभी प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई/ संकुल स्तरीय संगठन/ समिति अभियान के दौरान कार्यक्षेत्र में हो रहे अच्छे केस/ प्रयासों का फोटो संग्रहित करेंगे। इस कार्य हेतु प्रबंधक- संचार प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को सहयोग करेंगे।

ठ. सामुदायिक उत्प्रेरक/ जीविका मित्र (CM), ग्राम संगठन लेखापाल (VO-BK), अन्य कैडर को योग्य लक्षित परिवार को स्वयं सहायता समूह में जुड़ाव हेतु प्रति सदस्य 30/- रूपये (तीस रूपये) और ग्राम संगठन को पुराने स्वयं सहायता समूह/ नए स्वयं सहायता समूह में जुडाव हेतु प्रति सदस्य 50/- रूपये (पचास रूपये) प्रोत्साहन राशि के रूप में देय होगा। प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई/ संकुल स्तरीय संगठन में प्रोफाइल जमा करने के बाद होगा।

ड. प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई/ संकुल स्तरीय संगठन/ समिति एक महीना में समूह का बैंक बचत खाता खुलवाकर प्रोफाइल का एम.आई.एस (MIS) में प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

2. स्वयं सहायता समूहों का ग्राम संगठन में समावेशन

योग्य स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन में समावेशित करने/ जोड़ने के लिए संकुल स्तरीय संगठन/ समिति, ग्राम संगठन एवं कैडर (जीविका, ग्राम संगठन लेखापाल एवं क्लस्टर फैसिलिटेटर) के माध्यम से योग्य स्वयं सहायता समूह की सूची तैयार करायेगा। तैयार सूची के आधार पर योग्य स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन से जुडाव की निम्न रणनीति होगी-

क. जहाँ ग्राम संगठन है, बैठक में चर्चा कर ग्राम संगठन द्वारा योग्य स्वयं सहायता समूह को समावेशित/ जोड़ा जायेगा।

ख. जहाँ ग्राम संगठन नहीं है, ग्राम संगठन का गठन कर योग्य स्वयं सहायता समूह को समावेशित किया जायेगा।

ग. निष्क्रिय समूह को सक्रिय कर उसे पुर्नजीवित कर ग्राम संगठन से जोड़ा जायेगा।

3. ग्राम संगठनों का संकुल स्तरीय संगठन से जुडाव

संकुल स्तरीय संगठन द्वारा क्लस्टर फैसिलिटेटर के सहयोग से योग्य ग्राम संगठन की सूची तैयार की जायेगी। सूची के आधार पर ग्राम संगठन का संकुल स्तरीय संगठन में समावेशन/ जुडाव की निम्न रणनीति होगी-

क. जहाँ संकुल स्तरीय संगठन है वहाँ सूची के आधार पर ग्राम संगठन से जोड़ा जायेगा।

ख. जहाँ संकुल स्तरीय संगठन नहीं है, वहाँ प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्राम संगठन की संख्या एवं कार्यक्षेत्र का मैपिंग कर अभियान के दौरान संकुल स्तरीय संगठन का गठन करेगा।

4. MIS में अद्यतनीकरण

1. सभी संकुल स्तरीय संगठन/ समिति/ प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई पुराने समूह में समावेशित सदस्यों का प्रोफाइल MIS में अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे और गठित नए समूह का बैंक बचत खाता खुलने एक माह में भीतर खुलवा कर प्रोफाइल MIS में अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे। पुराने समूह में जुड़े सदस्यों एवं नए गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का आधार प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

2. सभी संकुल स्तरीय संगठन/ समिति/ प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नए गठित ग्राम संगठन एवं पुराने ग्राम संगठन से जुड़े स्वयं सहायता समूह तथा नए गठित संकुल स्तरीय संगठन एवं पुराने संकुल स्तरीय संगठन से जुड़े ग्राम संगठन को भी अभियान के दौरान MIS में अद्यतन करना सुनिश्चित करेंगे।

क्र.	गतिविधि	समयावधि	सन्दर्भ व्यक्ति	मुख्य जिम्मेवारी
1.	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, सी.एल.एफ एंकर एवं संकुल स्तरीय संगठन/ समिति अध्यक्ष का उन्मुखीकरण।	17- 18 अप्रैल, 2023	प्रबंधक- संस्था निर्माण एवं क्षमता वर्द्धन	जिला परियोजना प्रबंधक
2.	सामुदायिक संगठन प्रोफाइल प्रपत्र एवं IEC सामग्री की डिज़ाइनिंग, छपाई और संकुल स्तरीय संगठन/ समिति को उपलब्ध कराना।		प्रबंधक- संचार एवं प्रबंधक- अधिप्राप्ति	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित प्रखण्ड मेंटर
3.	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लाभार्थी की सूची BPIU एवं संकुल स्तरीय संगठन/ समिति को उपलब्ध कराना।		प्रबंधक- सामाजिक विकास	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित प्रखण्ड मेंटर
4.	कैडर का सामाजिक समावेशन अभियान पर उन्मुखीकरण।		सी.एल.एफ एंकर एवं संकुल स्तरीय संगठन/ समिति अध्यक्ष	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित प्रखण्ड मेंटर
5.	सामाजिक समावेशन अभियान का क्रियान्वयन।	18 अप्रैल- 30 सितम्बर, 2023	सी.एल.एफ एंकर एवं संकुल स्तरीय संगठन/ समिति	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित प्रखण्ड मेंटर
6.	सदस्यों, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन प्रोफाइल का MIS में अद्यतन करना।	18 अप्रैल- 30 सितम्बर, 2023	प्रबंधक- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित प्रखण्ड मेंटर
7.	अभियान के दौरान- फोटो, केस एवं विडियो तैयार करना।	18 अप्रैल- 30 सितम्बर, 2023	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक एवं सम्बंधित प्रखण्ड मेंटर	प्रबंधक- संचार
8.	प्रगति प्रतिवेदन का प्रत्येक शुक्रवार को निर्धारित M-APP में प्रविष्टि करना।	शुक्रवार	प्रबंधक- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक

समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन प्रोफाइल प्रपत्र एवं IEC सामग्री की छपाई NRLM (B 2.1.3.4- Printing and Stationery) के अंतर्गत किया जायेगा।

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि अभियान संचालन पूर्व प्रोफाइल एवं IEC सामग्री की छपाई करा सभी संकुल स्तरीय संगठनों/ समितियों समितियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को निदेशित किया जाता है कि प्रखण्ड परियोजना प्रबंधको एवं संबंधित प्रखण्ड मेंटर का साप्ताहिक (7 दिन) समीक्षा कर संकुल स्तरीय संगठन/ प्रखण्ड स्तर पर 30 सितम्बर, 2023 तक संतृप्ता सुनिश्चित करेंगे और प्रगति को प्रत्येक शुक्रवार को निर्धारित M-APP में प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे।

Signed by Rahul Kumar
Date: 17-04-2023 23:00:36
(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह – राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/ प्रबंधक क्षमता वर्धन/प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक
4. सभी सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ/ समिति
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग
6. सम्बंधित संचिका

Target for SHG Formation (Districtwise)		
FY 2023-34		
S.N.	District	Proposed Cumulative Target
1	Araria	33242
2	Arwal	7980
3	Aurangabad	23871
4	Banka	27937
5	Begusarai	32993
6	Bhagalpur	30546
7	Bhojpur	23596
8	Buxar	13277
9	Darbhanga	48989
10	Gaya	47179
11	Gopalganj	25054
12	Jamui	19168
13	Jehanabad	12469
14	Kaimur	15798
15	Katihar	37423
16	Khagaria	20889
17	Kishanganj	20407
18	Lakhisarai	8424
19	Madhepura	29023
20	Madhubani	54442
21	Munger	13874
22	Muzaffarpur	54961
23	Nalanda	29716
24	Nawada	23509
25	Pashchim Champaran	43281
26	Patna	40180
27	Purbi Champaran	52517
28	Purnia	39171
29	Rohtas	24370
30	Saharsa	22526
31	Samastipur	52798
32	Saran	34570
33	Sheikhpura	6256
34	Sheohar	9013
35	Sitamarhi	43753
36	Siwan	29491
37	Supaul	29948
38	Vaishali	38757
Total		**1121398**

फाइल संख्या /File No. J-11060/11/2022-RL
भारत सरकार/Government of India
ग्रामीण विकास विभाग/ Department of Rural Development
ग्रामीण आजीविका विभाग/Rural Livelihoods Division
(https://rural.nic.in)

सातवीं मंजिल, एन.डी.सी.सी-II/7th Floor, NDCC –II Building
जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली-01/Jai Singh Road, New Delhi-01
दिनांक:/Dated: 11th April, 2023

To,

The CEOs/SMDs of SRLMs
All States/UTs

Subject: Participation in the launch of Social Mobilization Campaign under AKAM 2.0 on 18th April at 7, SCOPE Complex Auditorium, Lodi Road, New Delhi - 110003

Madam/Sir,

As you are aware that *Azadi Ka Amrit Mahotsava 2.0 (AKAM)* is being celebrated throughout the country. DAY-NRLM is participating in the celebration by organizing **"Sanghathan Se Samrudhi (Social Mobilization Campaign)** from 18th April -30th June 2023 and aspire to bring all left out eligible rural poor households in to SHG fold to reach its mandate of mobilizing 10 crore rural households by September 2023.

The Social Mobilization Campaign will be formally launched by Hon'ble Minister of Rural Development, Govt of India Shri Giriraj Singh on 18th April 2023 at **7, SCOPE Complex Auditorium, Lodi Road, New Delhi - 110003**

1. It has been decided that all SRLMs will participate physically as well as through on-line mode.
2. A total of 5 members from each SRLM (CEO/SMD - 1, SPM/PM – IBCB-1 and 3 active SHG members preferably CLF leaders from each State) shall participate physically in event.
3. CEOs/SMDs of Haryana, Punjab, Rajasthan, MP and UP are requested to bring 25-30 active SHG members preferably CLF leaders to participate physically in the launch event in New Delhi.
4. The selected five SHG members, one member from each SRLM of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra, and Telangana for sharing their experiences of growth & development journey, initiating and operating enterprise, achieving saturation by CLFs and their contribution as CRPs before Hon'ble Minister Rural during the launch event. All the five participants shall reach New Delhi by 16.04.23 for necessary preparations.
5. All SRLMs are requested to share the names of the participants as per the template given in the annexure by 12.04.23 and arrange for their travel and other required arrangements ensuring their participation in the launch event at New Delhi.

6. All 737 districts of 34 States & UTs need to join the launch event through online mode at NIC district level office. SRLMs need to ensure that a minimum of 150-200 SHG members from each district shall attend in the launch event at NIC district level office.
7. The VC link shall be shared on 15.04.2023.
8. SRLMs are instructed to arrange Banner and backdrop shared by NMMU while SHG members are attending the event with clear mention of the district and State names.

All CEOs/SMDs are requested to take necessary action to ensure physical and online participation in the launch event on 18th April at New Delhi and ensure sharing of participants list to NMMU by 12.04.23. You may contact Om Prakash, NMM at – 9981600330 for any further clarification.

Yours faithfully,

11/4/2023

(Charanjit Singh)
Additional Secretary (RL)

Encl : as above

Copy to :

1. ACEO/COO of SRLMs
2. SPMs-SMIB/IBCB of SRLMs
3. Lead-IBCBSISD&HR

Annexures

1. Sample Backdrop to be used in meeting on 18.04.23
2. Template for list of participants

Template for List of Participants

Sl	Name of the Participant	Organisation name (In case of SHG members write SHG)	Designation	Name of the SHG	Name of the VO	Name of the CLF	Name of the block	Name of the district	Details of ID